"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219] रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 जून 2024 — ज्येष्ठ 20, शक 1946

चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 जून 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2 –10/2024/55–एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग {आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष)} (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, –

1. अनुसूची–एक के सरल क्रमांक 9 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"9	जिला आयुष अधिकारी	23	–तदैव–	67300–213100 (लेवल–13)"	

2. अनुसूची–दो के सरल क्रमांक 9 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"9	जिला आयुष अधिकारी	–तदैव–	23	25 %	75 %	--	जिला आयुष अधिकारी के कुल स्वीकृत पदों का 80% आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संवर्ग से, 15% होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग से एवं 5% यूनानी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग से भरा जायेगा।"

3. अनुसूची–तीन के सरल क्रमांक 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्;–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
''3	जिला आयुष अधिकारी	–तदैव–	28 वर्ष	30 वर्ष	**आयुर्वेद** (1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में इन्टर्नशिप सहित स्नातक उपाधि. (2) छत्तीसगढ़ आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी पंजीयन. (3) किसी शासकीय संस्था में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर न्यूनतम पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव अथवा सहायक संचालक (फार्मेसी)/(आयुर्वेद) के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **होम्योपैथी** (1) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इन्टर्नशिप सहित होम्योपैथी में स्नातक उपाधि. (2) छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद्/मंडल में स्थायी पंजीयन. (3) शासकीय संस्था में होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद पर न्यूनतम पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव अथवा सहायक संचालक (होम्योपैथी) के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **यूनानी** (1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी में इन्टर्नशिप सहित स्नातक उपाधि. (2) छत्तीसगढ़ आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी पंजीयन. (3) किसी शासकीय संस्था में यूनानी चिकित्सा अधिकारी के पद पर न्यूनतम पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव अथवा सहायक संचालक (यूनानी) के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव।''

4. अनुसूची–चार के सरल क्रमांक 3 एवं 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
''3	जिला आयुष अधिकारी	उप संचालक (आयुर्वेद) / उप संचालक (फार्मेसी)	5 वर्ष	--	–तदैव–
5	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी / यूनानी चिकित्सा अधिकारी / सहायक संचालक (आयुर्वेद / होम्योपैथी / यूनानी / फार्मेसी)	जिला आयुष अधिकारी	5 वर्ष	--	–तदैव–''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी तिर्की, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 4th June 2024

NOTIFICATION

F. No. 2-10/2024/55-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Health and Family Welfare and Medical Education Department [Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH)] (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2022, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules, –

1. For serial number 9 and entries relating thereto of Schedule-I, the following serial number shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"9	District AYUSH Officer	23	-do-	67300-213100 (Level-13)"	

2. For serial number 9 and entries relating thereto of Schedule-II, the following serial number shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"9.	District AYUSH Officer	-do-	23	25%	75%	--	Out of total sanctioned posts of District AYUSH Officer shall be filled by– 80 % from Ayurveda Medical Officer cadre, 15% from Homoeopathy Medical Officer cadre and 5% from Unani Medical officer cadre."

3. For serial number 3 and entries relating thereto of Schedule-III, the following serial number shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	District AYUSH Officer	-do-	28 years	30 years	**Ayurveda** (1) Graduate degree in Ayurved with Internship from an Institution recognized by Central Council of Indian Medicine.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(2) Permanent registration in Chhattisgarh Ayurved, Unani Tatha Prakritik Chikitsa Board. (3) Minimum five years working experience in any Government Institution as on the post of Ayurveda Medical Officer or Minimum 5 Years Working Experience as Assistant Director (Pharmacy)/(Ayurveda). **Homoeopathy** (1) Graduate degree in Homeopathy with Internship from an Institution recognized by Central Council of Homeopathy. (2) Permanent registration in Chhattisgarh State Homeopathy Council / Board. (3) Minimum five years working experience in any Government Institution as on the post of Homoeopathy Medical Officer or Minimum 5 Years Working Experience as Assistant Director (Homeopathy). **Unani** (1) Graduate degree in Unani Medicine with Internship from an Institution recognized by Central Council of Indian Medicine. (2) Permanent registration in Chhattisgarh Ayurved, Unani Tatha Prakritik Chikitsa Board. (3) Minimum five years working experience in any Government Institution as on the post of Unani Medical Officer or Minimum 5 Years Working Experience as Assistant Director (Unani).”

4. For serial number 3 and 5 and entries relating thereto of Schedule-IV, the following serial number shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3.	District AYUSH Officer	Deputy Director (Ayurveda) / Deputy Director (Pharmacy)	5 years	--	-do-
5.	Ayurveda Medical Officer /Homoeopathy Medical Officer/Unani Medical Officer/ Assistant Director (Ayurved/ Homoeopathy/Unani/ Pharmacy)	District AYUSH Officer	5 years	--	-do-”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C TIRKEY, Joint Secretary.

सचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2024.